adjudicated have been given to the House. It is difficult for me to give a list of the names off-hand.

Shri Ram Krishan Gupta: May I know whether there is also any proposal to amend the Foreign Exchange Regulation Act with a view to have stricter control over them?

Shri B. R. Bhagat: I think the powers that we have under the Act are adequate for the present. If there is any eventuality, which we do not see now, we will certainly come to the House.

Shri Tyagi: As in the case of income-tax evaders, have Government examined the feasibility of publishing a list of those persons who violate the Foreign Exchange Regulations every month?

Shri B. R. Bhagat: Under the Act there is no bar. May I remind the House that some time ago we gave a list of such cases to the House when the House wanted it?

Shri Tyagi: As the hon. Minister has brought forward a Bill for publishing the names of the income-tax evaders, why cannot these names be published as there is no clause of secrecy in this Act?

Shri B. R. Bhagat: That is true; we can consider that. But there is nothing to prevent us giving the names.

Shri S. M. Banerjee: The hon. Deputy Minister stated that the Director of Enforcement is taking all possible steps. May I know whether a responsible officer of the AII, who is said to be the son of Mr. Chatterjee the Director, was involved in the foreign exchange violation? If so, what action was taken against him? May I also know whether it is a fact that the case was hushed up?

Shri B. R. Bhagat: No; the case was not hushed up. He was fined; and the question of taking some legal action is under consideration. So, I repudiate the insinuation that any such thing has been hushed up. It is never hushed up.

Shri Indrajit Gupta: May I know whether two high officials of the AII were involved in the violation of Foreign Exchange Regulations; and, if so, may I know their names and what proceedings were instituted against them?

Shri B. R. Bhagat: If the hon. Member tables a separate question, I can give the names. So far as I know, only one official was involved and we have taken suitable action. I do not know of any other.

Shri Jaipal Singh: Would it not be in the public interest to lay on the Table the names of the persons concerned after the full process of law has taken place and not before? In a matter of adjudication it would not be fair that the names should be given. Surely, as the hon. Minister himself has earlier replied that there is nothing to prevent him from giving the names, will he give the information at the proper time?

Shri B. R. Bhagat: That can be done; there is no objection.

Hindi Teleprinters and Typewriters

+

*441. **Shri A. M. Tariq:**
Shri Ram Krishan Gupta:
Sardar Iqbal Singh:
Shri D. C. Sharma:
Shri Sarju Pandey:
Dr. Ram Subhag Singh:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 170 on the 16th February, 1960 and state the nature of progress made so far in finalizing key-boards for Hindi Teleprinters and Typewriters?

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): The Hindi Typewriter and Teleprinter Committee has submitted its revised reports ann Government decision thereon is exeptced to be taken by the end of this month.

श्री अ० मु० तारिक : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस गवर्नमेंट के डिसीज़न लेने

के बाद कितनी मुद्दत में टाइपराइटर तैयार किए जायेंगे ?

[شری اے - ایم - طارق : کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے ڈسیژن لینے کے بعد کتنی مدت میں ٹائپرائٹر تیار کئے جائینگے]

डा० का० ला० श्रीमाली : अब तो देर नहीं लगनी चाहिए। इस महीने के अन्त तक निर्णय ले लिया जाएगा और फिर टाइपराइटर को मैन्युफैक्चर करने का प्रश्न है और जितनी जल्दी हो सकेगा इस में कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दी रस्मुलखत में टाइपराइटर बनाने के अलावा, हुकूमत के पेशेनजर कोई ऐसी भी स्कीम है कि और प्रादेशिक जबानों में जैसे उरदू वगैरह में भी टाइपराइटर बनाए जाएं?

[شری اے - ایم - طارق : میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہندی رسم الخط میں ٹائپرائٹر بنانے کے علاوہ حکومت کے پیش نظر کوئی ایسی بھی اسکیم ہے کہ اور پراویشک زبانوں میں جیسے اردو وغیرہ میں بھی ٹائپرائٹر بنائے جائیں۔]

डा० का० ला० श्रीमाली: जी हां, वह तो बनाए जाएंगे लेकिन यह जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट्स की है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस में हिन्दी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है क्योंकि यह भाषा का प्रश्न नहीं है बल्कि लिपि का प्रश्न है जो कि देवनागरी है । इस लिपि का प्रयोग अहिन्दी भाषी प्रदेशों में भी किया जाता है जैसे कि महाराष्ट्र में और नेपाल में। तो यह लिपि का प्रश्न है भाषा का प्रश्न नहीं है । फिर यहां पर देवनागरी शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

डा० का० ला० श्रीमाली : हिन्दी राष्ट्रभाषा स्वीकार की गयी है, इसलिए हिन्दी शब्द का प्रयोग किया गया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : लेकिन लिपि तो देवनागरी है जिसका प्रयोग नैपाल और महाराष्ट्र में भी होता है जो कि हिन्दी स्पीकिंग एरिया नहीं है।

डा० का० ला० श्रीमाली : अभी तक मैं ने हिन्दी टाइपराइटर और अंग्रजी टाइपराइट का नाम तो सुना है, देवनागरी टाइपराइटर का नाम तो नहीं सुना है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन टाइपराइटरों के की बोर्डों का और टैलीप्रिंटरों का सम्बन्ध है , जो लिपि इन में काम में ली जाएगी क्या वह वही लिपी होगी जो कि अब केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत की है या कि अभी उस में अभी और भी परिवर्तनों की गुंजाइश है और क्या इस बारे में अभी और सलाह ली जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक लिपि का सम्बन्ध है उसको तो अन्तिम रूप दे दिया जा चुका है और उसी के मुताबिक अब टाइपराइटर बनाया जाएगा और मैं आशा करता हूं कि कम से कम कुछ अरसे के लिए तो यह टाइपराइटर का अन्तिम रूप होगा, हमेशा के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर और आगे खोज हुई तो उस में अवश्य परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ अरसे तक के लिए तो इसको अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक टाइपराइटरों और टैलीप्रिंटर्स के निर्माण का सम्बन्ध है क्या इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि

यह भारतवर्ष में ही तैयार कराये जायं या यह बाहर से तैयार करवा कर मंगवाये जायेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस के बारे मे इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री से मशविरा किया जायेगा और अगर भारतवर्ष में इनको तैयार किया जा सका तो यह बहुत खुशी की बात है लेकिन अगर यहां आसानी से न बन सकें तो फिर बाहर से मदद ली जायगी।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि देवनागरी लिपि के टंकन यंत्रों और दूर मुद्रक यंत्रों के बारे में राज्य सरकारें काफी दिलचस्पी लेती रही हैं तो क्या इनके निर्माण के सम्बन्ध में उन से भी परामर्श किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, इस सम्बन्ध में उन से परामर्श किया गया था। एजुकेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में यह सारा मामला रखा गया था और उन्होंने जो अन्तिम रूप लिपि का था उस को स्वीकार किया है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सही है कि हिन्दी टैलीप्रिंटर्स और टाइपराइटर्स के की बोर्ड के बारे में अन्तिम फैसला न होने के कारण इन दोनों चीजों का उत्पादन उचित मात्रा में नहीं हो रहा है और बहुत सी संवाद समितियों ने सरकार से निवेदन किया है कि उनको आगरा, जयपुर आदि तक के लिए टैलीप्रिंटर्स दिये जायें और चूंकि कीबोर्ड के बारे में अन्तिम फैसला नहीं हो पाया है इसीलिए यह काम अब तक रुका हुआ है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां इस काम में देरी हुई है लेकिन देरी होने का कारण माननीय सदस्य को मालूम ही है। सन् १९५३ में लखनऊ में एक कान्फ्रेंस हुई थी जहां कि देवनागरी लिपि को अन्तिम रूप दिया गया था फिर सन् १९५७ में उत्तरप्रदेश सरकार ने एक दूसरी कान्फ्रेंस बुलाई और उसमें पहली स्वीकृत लिपि को बदल दिया और उस की वजह से इस काम में यह तमाम देरी हुई है। हिन्दी टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स कमेटी की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी लेकिन चूंकि देवनागरी लिपि में तबदीली की गई तो फिर उसमें भी परिवर्तन करना जरूरी हो गया और इसी कारण यह देरी हो गई ? मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अब उसको अन्तिम रूप दिया जा चुका है और जल्दी ही इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि जितनी जल्दी हो सके हिन्दी टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स तैयार किये जायें।

Shri Sadhan Gupta: May I know whether any steps are being taken to develop the key boards for typewriters and teleprinters also in other regional languages and if so, which of them?

Dr. K. L. Shrimali: I have already answered this question.

Mr. Speaker: It is the responsibility of the States. He has said so.

डा० राम सुभग सिंह : जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा कि पहला फैसला सन् १९५३ में किया गया और उस फैसले को १९५७ में बदल दिया गया और अब अन्तिम फैसला शायद एक महीने के बाद १९६० में होने वाला है तो क्या जब तक अन्तिम फैसला नहीं होगा तब तक के लिए मंत्री महोदय क्या यह आश्वासन देंगे कि इस वक्त जो लिपि इस्तेमाल में लाई जा रही है उस लिपि के काफी टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स उपलब्ध किय जायेंगे।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, जैसे कि मैंने आप से निवेदन किया इस महीने के आखिर तक सरकार अन्तिम निर्णय कर लेगी और फिर इस बात की जल्दी से जल्दी कोशिश की जायेगी कि नये टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स तैयार हों।

Shri Sonavane: How far the Devanagiri script has come to be altered for use in typewriters and teleprinters?

Dr. K. L. Shrimali: I would refer the hon. Member to the report which will be placed in the Library.

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि देवनागरी लिपि के टंकन यंत्रों के बारे में जब अन्तिम निर्णय हो जायगा तब उसके कितने दिनों के अन्दर यह नये टाइपराइटर्स दफ्तरों में पहुंच जायेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उसकी अवधि में अभी नहीं बतला सकता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मिनिस्ट्री आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़ के साथ मशविरा किया जायगा और जल्दी से जल्दी टाइपराइटर्स तैयार करने का प्रयत्न किया जायगा।

Joint Councils in Central Secretariat

\+
*442. { **Shri Nek Ram Negi:**
Shri Ram Krishan Gupta:
Sardar Iqbal Singh:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Ajit Singh Sarhadi: }

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1644 on the 22nd April, 1960 and state the nature of decision taken for formation of Whitley Councils and Joint Councils in Central Secretariat and other subordinate offices?

The Minister of Home Affairs (Shri G. B. Pant): It has been decided to set up a joint consultative machinery, and a detailed scheme is being worked out.

Shri Nek Ram Negi: What is the object behind the formation of these councils and what are their functions?

Shri G. B. Pant: It is to settle matters pertaining to welfare and other things concerning the services by the processes of consultation, negotiation and where necessary, even by reference to arbitration.

Shri S. M. Banerjee: On 2nd July 1960, the Labour Minister who was negotiating with the Joint Council of Action agreed on behalf of the Government that the Government would be ready to have standing boards both of the departmental and at the central levels. I want to know whether the Government still agrees to set up these boards or has receded from this assurance.

Shri G. B. Pant: I do not exactly know what differences could be between a council and a board. I do not know what actually passed between the Labour Minister and those with whom the questioner may be in intimate touch.

Shri Ram Krishan Gupta: In reply to a previous question it was said that a co-ordinating committee has also been formed. May I know whether all the Ministries are represented on this committee?

Shri G. B. Pant: The details are being worked out.

Shri S. M. Banerjee: I want to know whether such councils will be on the model of the Whitley Councils suggested by the Pay Commission and whether such councils will be established ini P. & T. Railways and Defence.

Shri G. B. Pant: The model of the Whitley Councils will be kept in view. As I said the scheme has not yet been worked out but there will probably be three parallel councils: one for railways including the workshops, the second for the other workshops and the third for the other services.

Shri Achar: May I know whether the awards by the arbitrators would be binding on the Government also?

Shri G. B. Pant: Unless the Government considers it necessary to bring the matter before Parliament, perhaps the Government would be generally disposed to accept the awards.

Shri Harish Chandra Mathur: The hon. Home Minister says that only details have now to be worked out. May I know the nature and composition of these councils?

Shri G. B. Pant: Composition also is a matter of detail.... (*Interruptions.*)

Shri Anthony Pillai: Will there be difference in the functions which the